# कार्यालय नगर पालिका, रींगस (सीकर)

## पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

### संस्थानिक

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 1226 दिनांक 19-04-2023

पट्टा धारक का नाम श्री श्याम शिक्षण संस्थान, जरिये सचिव श्री विशाल महला पुत्र श्री भागीरथ सिंह महला

निवासी बी–6, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान/302039।

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स .................................................. कार्यालय पता ..................................................

.................................................. जरिये ..................................................

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री .................................................. पुत्र / पुत्री ..................................................

निवासी ..................................................

भूखण्ड संख्या ______ क्षेत्रफल 21490 वर्गमीटर राजस्व ग्राम रींगस खसरा संख्या 1504/1,1504/2,1504/3,1505/1, 1505/3 योजना खाटूश्यामजी रोड में स्थित है।

नगर पालिका, रींगस (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक ______________ को निम्न शर्तों के अध्याधिन निष्पादित किया जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस
अधिशाषी अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका रींगस

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

01. ..................................................

Secretary
Shri Shyam Shikshan Sansthan
Reg. No 390/JPR/2002-03

02. ..................................................

नोट :– शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

जे.आर. कुल्ही
उप पंजीयक
रींगस (सीकर)

# पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बधनो और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टा धारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को केंद/राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टाकर्ता (नगर पालिका रींगस) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
6. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि पट्टेदार द्वारा कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर अथवा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा नगर पालिका रींगस द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं, इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति संदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
12. यह पट्टा केवल भूमि के स्वामित्व के अधिकार के लिए है इस पट्टे के आधार पर अवैध निर्माण नियमन नही किया गया है।
13. पट्टा धारक स्वीकृत साईट प्लान में दर्शित 30 मीटर के Green Belt के अन्दर भविष्य में कोई भी निर्माण नहीं करेगा।
14. राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)न वि वि/3/2010/पार्ट–4 दिनांक 22.06.2017 के बिन्दु संख्या (2) के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर आवेदक द्वारा भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशन केन्द्र, विद्युत सबस्टेशन, ओवर हेड वाटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता हो तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
15. नगर पालिका रींगस के अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति नही होने तक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(253)डीएलबी/2022/14786 दिनांक 22.12.2022 की पालना में अधिशाषी अधिकारी के एकल हस्ताक्षर से पट्टा जारी किया गया है।
16. पट्टा धारक ने उचित नियमों के तहत 10 वर्षीय लीज राशि 1074600 रुपये जमा करा दी है।

नोट :– आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रतिफल राशि।

भूखण्ड का विवरण

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व | 236.44 मी. | पश्चिम | 225.06 मी. |
| उत्तर | 112.10 मी. | दक्षिण | 99.7 मी. |

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम ____

पता ____

साईट प्लान

N

सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, रींगस
तकनीकी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस
अधिशाषी अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

उप पंजीयक रींगस

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

जे.आर. कुड़ी
उप पंजीयक
रींगस (सीकर)